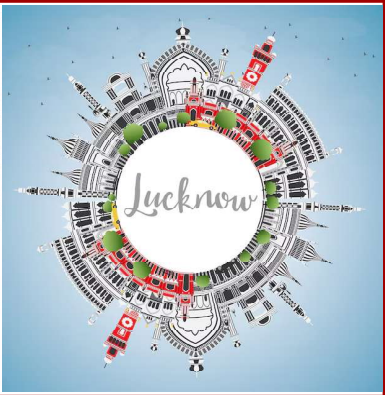




बेटी की शादी के लिए की जाएगी आर्थिक मदद, सरकार की योजना के तहत मिलेगा आवास

-योगी ने दिखाया जनता को विश्वास

एजेंसी

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जरूरतमंदों को आवास दिलाने, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी और गंभीर बीमारियों

से पीड़ितों के उपचार में आर्थिक सहायता देने का आत्मीय संबल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा हर समस्या के प्रभावी निस्तारण के लिए संकल्पित है। जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जन समस्याओं पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाएं और पारदर्शिता के साथ निस्तारण सुनिश्चित करें। जनता दर्शन में एक वृद्ध महिला ने आवास की समस्या बताई। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें

सरकार की योजना के तहत आवास दिलाया जाएगा। इसे लेकर उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित भी किया। एक महिला ने बिटिया की शादी के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाई तो सीएम ने तुरंत मौके पर मौजूद अधिकारियों को विवाह अनुदान योजना का लाभ दिलाने के लिए निर्देशित किया। एक अन्य महिला ने बिजली कनेक्शन में आ रही अड़चन की जानकारी दी। इस पर मुख्यमंत्री ने अफसरों को बिजली कनेक्शन दिलाने के लिए निर्देशित किया। जनता दर्शन में योगी ने कहा कि किसी को भी धबराने की



आवश्यकता नहीं है। सरकार हर समस्या का समाधान करने के लिए संकल्पित है। जनता दर्शन में हर बार की तरह इस बार भी कुछ लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं

रुकेगा। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि जो भी जरूरतमंद है प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए। इस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी। जमीन कब्जा किए जाने से संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस को निर्देश

दिया कि यदि कोई दबंग किसी की जमीन जबरन कब्जा कर रहा हो तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जनता दर्शन में परिजनों के साथ आए बच्चों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खूब दुलारा और आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्हें चौकलेट भी दिया।

टैकऑफ से ठीक पहले प्राइवेट जेट के इंजन से निकलने लगा धुआ
'कोलकाता एयरपोर्ट पर मच गई अफरा-तफरी'
एजेंसी
कोलकाता। कोलकाता हवाई अड्डे पर उड़ान भरने से ठीक पहले एक निजी जेट विमान के इंजन से धुआं निकलता देखा गया, जिसके बाद विमान को गहन निरीक्षण के लिए टैक्सी बे (विमानों को रखने का स्थान) में वापस ले जाया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पायलट ने तुरंत वायु यातायात नियंत्रण (एटीसी) को सूचित किया जिसने उसे रुकने और 'टैक्सी बे' में वापस आने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र (एनएससी) बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के हवाई अड्डा अधिकारियों ने तुरंत स्थिति को काबू में कर लिया। हवाई अड्डे के सूत्रों के अनुसार छह यात्रियों को लेकर निजी जेट उड़ान भरने के लिए रनवे की ओर बढ़ रहा था तभी एक अन्य विमान के पायलट ने उसके इंजन से धुआं निकलता देखा।

वंदे मातरम का गायन मुसलमानों के लिए

इस्लामिक ऐतबार से जायज नहीं : महमूद मदनी



एजेंसी

सहारनपुर। राष्ट्र गीत वंदे मातरम की रचना को डेढ़ सौ वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वंदे मातरम गीत को पूरा का पूरा प्रस्तुत किया जाए और उसके जिन अंशों को पूर्व में हटाया गया था, उन्हें भी उसमें शामिल किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री की ये बातें देश के मुस्लिम जनप्रतिनिधियों और उल्लेखों को बहुत अखर रही हैं। वह इस पर खुली आपत्ति भी जता रहे हैं। पूर्व में कई जनप्रतिनिधि मोहम्मद

आजम खां, शफीकुर रहमान वर्क और पूर्व केंद्रीय मंत्री रशीद मसूद संसद में भी इसके गायन को लेकर अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। अब फिर से यह मामला सुर्खियों में आ गया है। पूर्व सांसद दारुल उलूम की मजलिस-ए-शूरा के सदस्य एवं जमीयत उलमाए हिंद के एक गुट के हाल ही में फिर से चुने गए अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने यूनीवर्साल से बावचीत में मुसलमानों की आपत्ति के बारे में दो टूक कहा कि वंदे मातरम गीत में कुछ पंक्तियां ऐसी हैं। जिसमें मातृभूमि को देवी दुर्गा के रूप में पेश कर उसकी पूजा वंदना के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मुसलमान ईश्वर एक हैं, इस विश्वास को मानने वाले हैं और उसी की इबादत करते हैं। इसलिए दूसरे की देवी देवताओं की इबादत करना उनके मजहबी

विश्वास के खिलाफ है। मदनी ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आजादी देता है। ऐसी हालत में मुस्लिमों को पूरे वंदे मातरम गीत को गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय भी इस संबंध में अपना फैसला दे चुका है। मौलाना महमूद मदनी ने बताया कि 26 अक्टूबर 1937 को गुरुदेव रविंद्र टैगोर ने पंडित जवाहर लाल नेहरू को लिखे पत्र में उनसे की सराहना करते हुए सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि पहली बार स्व-गणना सुविधा भी शुरू की जा रही है, ताकि नागरिक अपना डेटा एक वेब पोर्टल के माध्यम से सुरक्षित रूप से जमा कर सकें। इससे पायलट प्रोजेक्ट में चयनित जिलों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा। राज्य जनगणना निदेशक सुजल मयात्रा ने इस वेबसाइट की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 2027 की जनगणना के लिए पूर्वगणना किया जा चुका है और विभिन्न मोबाइल ऐप्स का परीक्षण किया जा चुका है। इस जनगणना 2027 के पूर्व-परीक्षण

संक्षिप्त समाचार

एआई के दुरुपयोग से जज भी परेशान, सीजेआई गवई बोले-हमने भी देखा अपनी मॉर्फेड तस्वीरें

दिल्ली ब्यूरो
नयी दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के दुरुपयोग के बारे में जजों को भी मालूम है। भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) बीआर गवई ने सोमवार कहा कि न्यायपालिका के लोगों को भी मॉर्फेड तस्वीरों के माध्यम से निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि इस तरह की तकनीकों को नियंत्रित करने की पहल कार्यपालिका की ओर से होनी चाहिए, न्यायपालिका से नहीं। दरअसल, आज समाज का बड़ा तबका किसी न किसी रूप से एआई के दुरुपयोग की वजह से परेशानी महसूस कर रहा है। सीजेआई बीआर गवई ने कहा है, हमने भी अपनी मॉर्फेड तस्वीरें देखी हैं।

दिल्ली दंगा मामले में कपिल मिश्रा को बड़ी राहत, रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट तैयार
दिल्ली ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को कानून मंत्री कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस द्वारा दायर रिवीजन पिटीशन को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया गया है, जिसमें दिल्ली पुलिस को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे की साजिश मामले में कपिल मिश्रा की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया गया था। विशेष न्यायाधीश डिग विनय सिंह ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एससीजेएम) द्वारा 23 फरवरी की घटना के संबंध में पारित आदेश को रद्द कर दिया।



सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में जनगणना गुजरात की नई वेबसाइट का किया शुभारंभ

एजेंसी

गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में जनगणना गुजरात की नवीनतम वेबसाइट 'जजचेरूद्ध हनररंज'बमदेनेहवअपद्व का शुभारंभ किया। गुजरात, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के जनगणना निदेशालय द्वारा तैयार की गई यह वेबसाइट उपयोगकर्ताओं को आधुनिक सुविधाओं, आसान मेनू और बहुभाषी सुविधाओं के साथ आसान पहुंच प्रदान करेगी। इस वेबसाइट का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन कल्याण की सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और नियोजन के माध्यम से संतुलित विकास का जो लक्ष्य रखा गया है, वह जनगणना के माध्यम से जनकल्याण की टैगलाइन

के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि नई वेबसाइट के शुभारंभ से इसे और बल मिलेगा। इस बार देश की आगामी जनगणना पहली बार मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पूरी तरह से डिजिटल रूप से आयोजित किए जाने की सराहना करते हुए सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि पहली बार स्व-गणना सुविधा भी शुरू की जा रही है, ताकि नागरिक अपना डेटा एक वेब पोर्टल के माध्यम से सुरक्षित रूप से जमा कर सकें। इससे पायलट प्रोजेक्ट में चयनित जिलों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा। राज्य जनगणना निदेशक सुजल मयात्रा ने इस वेबसाइट की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 2027 की जनगणना के लिए पूर्वगणना किया जा चुका है और विभिन्न मोबाइल ऐप्स का परीक्षण किया जा चुका है। इस जनगणना 2027 के पूर्व-परीक्षण



के लिए गुजरात के सूत्र नगर निगम के 133 ब्लॉक, दाहोद के देवगढ़बिरिया तालुका के 26 गांवों के 70 ब्लॉक और मोरबी के टंकारा तालुका के 25 गांवों के 60 ब्लॉक चुने गए हैं। जनगणना निदेशक ने इन चयनित क्षेत्रों में 10 से 30 नवंबर तक किए

जाने वाले पूर्व-परीक्षण कार्य की भी जानकारी दी। इस वेबसाइट के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य सचिव एमके. दास, मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव अवतिका सिंह और गुजरात के जनगणना निदेशालय के अधिकारी उपस्थित रहे।

कांग्रेस नेता रिजाल बोले-राष्ट्रपति की समझदारी से बच गया नेपाल, वर्ना मिट जाता देश का अस्तित्व और भारत का बढ़ जाता बोझ

एजेंसी

काठमांडू। नेपाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मिनेंद्र रिजाल ने कहा है कि सितंबर में हुए कम्द-प्रदर्शनों के दौरान राष्ट्रपति के हस्तक्षेप ने देश को एक बड़े संकट से बचा लिया। उनके अनुसार, यदि राष्ट्रपति ने उस समय कदम नहीं उठाया होता, तो नेपाल अंतरराष्ट्रीय रूप से अलग-थलग हो सकता था और हजारों लोग भारत-नेपाल की खुली सीमा पार कर शरणार्थी बनने को मजबूर हो जाते। रिजाल ने कहा, "हम एक पराया देश बनने की कगार पर थे। अगर ऐसा होता, तो हमारे पड़ोसी (भारत) को भी हमारी समस्या का बोझ उठाना पड़ता। शुक्र है कि राष्ट्रपति ने अपने विवेक और लंबे राजनीतिक अनुभव का इस्तेमाल किया और देश को एक बड़ी त्रासदी से



हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति केवल संविधान की शब्दशः व्याख्या करते, न कि उसकी आत्मा को समझते, तो शायद हालात बेकाबू हो जाते। रिजाल ने माना कि सितंबर 8-9 के विरोध प्रदर्शनों में जनता का गुस्सा सिर्फ

सोशल मीडिया प्रतिबंध तक सीमित नहीं था, बल्कि वह भ्रष्टाचार, असमानता और प्रशासनिक उदासीनता से भी उपजा था। अगर हम लोगों की बात नहीं सुनते चाहे वो सोशल मीडिया थे? हां, बिल्कुल। क्या यह संवेदनिक था? इस पर बहस हो सकती

दिल्ली ब्यूरो
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनके परिवार के सदस्यों और कई अन्य लोगों से जुड़े कथित जमीन के बदले नौकरी मामले में आरोप तय करने पर अपना आदेश चार दिसंबर तक के लिए टाल दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने राजद प्रमुख लालू प्रसाद और अन्य के खिलाफ मामले में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर एजेंसी द्वारा दायर मामले की सुनवाई कर रहे थे। अब इस मामले पर सुनवाई चार दिसंबर को होगी, जब अदालत इस बारे में अपना

निर्णय सुना सकती है कि आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं। सीबीआई ने कथित घोटाले के सिलसिले में लालू यादव, उनकी पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र

दाखिल किया है। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र के गुप-डी श्रेणी में नियुक्तियों

लिए राजद सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों के नाम पर भ्रूखंड उपहार में दिए गए या हस्तांतरित किए गए। अदालत ने इससे पहले अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के बारे में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व विशेष लोक अभियोजक डी. पी. सिंह ने किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि नियुक्तियां मानदंडों का उल्लंघन करके की गईं तथा लेन-देन में बेनामी कंपनियां शामिल थीं, जो अपराधिक कदाचार और भ्रष्टाचार के समान हैं। आरोपियों ने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है।



संपादकीय

कश्मीर घाटी में जो कुछ भारत के विरुद्ध हो रहा, इसे जानने का अधिकार तो लोगों को है

भारत के अभिन्न हिस्सों में वर्षों से चली आ रही मारधाड़ की सच्चाई जानने का अधिकार तो जनता को होना चाहिए। वहां तो अनंत काल से अमावस्या ही अमावस्या है। ‘कश्मीर घाटी’ वर्षों से आग की लपटों में है, परन्तु देश के अन्य राज्यों में कश्मीर घाटी के प्रति मूकता का भाव क्यों? कश्मीर से कन्या कुमारी तक अपनी ही तो मातृभूमि है। फिर कश्मीर घाटी के लिए यह वितुष्णा क्यों? कश्मीर घाटी का मुसलमान तो ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ बोलता चला आ रहा है? ‘कश्मीर घाटी’ में वर्षों से रिसते जख्मों पर कौन मरहम लगाएगा? क्यों वहां से कश्मीरी पंडितों को निष्कासित किया गया? क्यों ‘कश्मीर घाटी’ का हिंदू अपने ही घर में बेघर हो गया? भारत भूमि तो सभी धर्मों के लिए एक विस्तृत भूखंड है। ‘कश्मीर घाटी’ को क्यों इस्लामिक राज्य बनाया जा रहा है? 1947 के भारत विभाजन के बाद भी ‘कश्मीर घाटी’ क्यों स्वाभाविक रूप से हिंदोस्तान से न जुड़ सकी है? जिन्ना को हर हाल में पाकिस्तान बनाना था, बना लिया, फिर ‘कश्मीर घाटी’ में अराजकता क्यों? यह जानना तो भारतीय जनता का अधिकार है। बार–बार यही ‘अरण्य रोदन’ कि अब्दुल्ला परिवार कश्मीर घाटी की शांति का दुश्मन है। यदि अब्दुल्ला परिवार है तो उससे फैंसलाकुन बात करो। आखिर पी.डी.पी. की मुफ्ती महबूबा को भी तो लाखों मतभेद होते हुए भारत सरकार ने जम्मू–कश्मीर राज्य का मुख्यमंत्री बनाया ही था? महबूबा से तो अब्दुल्ला परिवार थोड़ा सॉफ्ट है। राजनीति में आज जो दुश्मन है, कल मित्र भी बन जाएगा। राजनीति कोई ठहरा तालाब नहीं बल्कि राजनीति तो एक बहता दरिया है। भारत के राजनेता विचार करें। कश्मीर तो भारत का एक अभिन्न अंग है। उसे सदा के लिए ‘अनुसुलझा मसला’ नहीं रहने देना चाहिए। आज तक देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल को हम कश्मीर समस्या के लिए कोसते चले आ रहे हैं जबकि पंडित नेहरू को तो हमने 1964 में अलविदा कह दिया था। सन 1965, सन 1971 और सन 1999 तक हमने तीन युद्ध तो लड़ लिए। अब ‘आप्रेशन सिंदूर’ भी हमने कर लिया । ‘कश्मीर घाटी’ को स्थायी अमावस्या से बाहर नहीं निकाल सके। पंडित नेहरू के बाद तो केंद्र में बीसियाँ सरकारें भारत के लोगों ने बना लीं। इतने पर भी ‘कश्मीर समस्या’ तपती ही रही। पुलवामा और पहेलगाम की जघन्य घटनाओं ने तो विश्व राजनीति को हिला कर रख दिया। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मैंने स्पीकर से लेकर वहां के सभी सांसदों को सुना। सब के सब यही बोल रहे थे कि सारी घटनाएं भारत स्वयं करवा रहा है ताकि दुनिया आतंकवाद के नाम पर पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके और जब भी भारत की केंद्र सरकार को कोई झटका लगता है तो वह पाकिस्तान की ओर मुंह कर लेता है। पाकिस्तान कहता है कि वह खुद आतंकवाद से लड़ रहा है परन्तु यह सब कहने से पहले पाकिस्तान यह क्यों दुनिया के सामने स्वीकार नहीं करता कि दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा आतंकवादी ‘ओसामा बिन लादेन’ पाकिस्तान के शहर अलावलपुर में अपना ‘हेड आफिस’ बनाए बैठा था? ऐसे में पाकिस्तान के राजनेताओं पर विश्वास कौन करेगा? 1980 से 2025 तक के कालखंड में 25,000 कीमती जानें आतंकवाद का शिकार हो चुकी हैं। राजनेताओं से लेकर सैन्य अधिकारियों और आम आदमी से लेकर पुलिस के जवानों तक, नौजवानों से लेकर बच्चों और बूढ़ों तक को इस आतंकवाद ने नहीं छोड़ा। ‘कश्मीर घाटी’ के अपने लोग ही आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, उन्हें रास्ता बता रहे हैं। स्थानीय जनता ही आतंकवादियों के लिए ‘रेकी’ कर रही है। उन्हें खाने-पीने के लिए रसद पहुंचा रही है। कोई स्वयं विचार करे कि विभीषण के रहते क्या लंका बच सकती है? इन चीजों का उत्तर तो सरकार को ही देना है और ‘कश्मीर घाटी’ में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, यह जानना तो भारत के लोगों का अधिकार है। सरकार न जवाब दे परन्तु इस पर कोई ‘स्फेद यंत्र’ या ‘जांच आयोग’ तो बिठा सकती है? अब तो सरकार ने धारा 370 भी हटा दी है। इसी धारा पर 1954 से विरोध होते रहे हैं न? अब सरकार उत्तर दे कि ढक्कनहोतों के धार्मिक स्थान क्यों सुरक्षित नहीं? जम्मू में वैष्णो माता के मंदिर को लगातार खतरा जारी है। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों की अराध्य देवी ‘खीर भवानी’ का मंदिर हमेशा खतरे में रहा है। कश्मीरी पंडितों की दुकानों, मकानों, जायदार्दों, खेत–खलिहानों पर मुसलमान कब्जा जमाए बैठे हैं। कश्मीरी पंडितों को जबरदस्ती घाटी से निकाल दिया है। ‘कश्मीर घाटी’ में पाकिस्तानी झंडे लोगों ने अपने घरों पर लगा रखे हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो कश्मीरी पंडितों पर जुल्म क्यों? अतः यह जनता को जानने का अधिकार है कि कश्मीर घाटी में क्या हुआ, क्यों हुआ और नित्य बिना युद्ध के फौज के जवानों की लाशें तिरंगे में लिपटी उनके घर पहुंच रही हैं क्यों।

राशिफल

मे़ष :- समय के साथ समझौता करके चलने का प्रयास करें। कार्यक्षेत्र को ही अपनी पूजा समझें और स्वयं को उसी ओर केंद्रित करें। पत्नी के साथ मधुर वणी का प्रयोग करें। रोजगार में लाभकारी स्थिति रहेगी। वृषभ :- हृद घटना से आपको सीख लेने की जरूरत है। नये क्षेत्र में निवेश से पूर्व जानकारी लोगों से विचार–विमर्श करें। भविष्य के प्रति निराशाजनक विचारों को मन पर हावी न होने दें। मिथुन :- निकट संबंधों में मधुर संवाद से अपनी सुंदर छबि बनायें। कुछ महत्वपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति होने के आसार हैं। सामान्य दिनचर्या के साथ बीत रहे जीवन में उत्साह का अभाव रहेगा। घर में खुशहाली होगी। कर्क :- भविष्य संबंधी कुछ चिंताएं उत्पन्न होंगी। किसी कार्य को छोटा–बड़ा समझने के बजाए अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करें। वर्तमान कार्य से मन असंतुष्ट रहेगा। जरूरी मामलों में आलस्य का त्याग करें। सिंह :- पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति हेतु चिंता उत्पन्न होगी। अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें एवं जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान दें। किसी बड़े आयोजन हेतु समुचित साधन लिए मन प्रयत्नशील होगा। कन्या :- परिवार की छोटी–छोटी बातों बाहरी लोगों से न कहें। भावना से उद्दे़लित मन संबंधियों के सुख–दुख के प्रति चिंतित होगा। किसी नयी दिशा में सकारात्मक सोच अवश्य रंग लायेगी। रोजगार में व्यस्तता रहेगी। तुला :- कोई छोटी बात भी परिवार में तनाव का कारण बन सकती है। महत्वपूर्ण प्रयत्न की आवश्यकता हेतु नये उत्साह का सांघार होगा। सामाजिक गतिविधियों में क्रियाशीलता बढ़ेगी। भावनात्मक अभिव्यक्ति से संबंध मधुरत होेंगे। वृश्चिक :- स्वयं को सही दिशा और लक्ष्य की ओर केंद्रित करें तभी जीवन में सही प्रगति कर सकते हैं। किसी पुराने संबंध के प्रति विशेष निकटता की अनुभूति करेंगे। ग्रहों की अनुकूलता से अवरोधित कार्य हल होंगे। धनु :- किसी भी प्रयास में आर्थिक अभाव अवरोधक होगा। साहस व बुदिमता से पुरानी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सुख की अनुभूति करेंगे। विषम स्थितियों के मध्य परिश्रम व लगन से प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। मकर :- बुद्धिमता व परिश्रम का मिले–जुले संयोग का भरपूर लाभ उठाएंगे। आर्थिक क्षेत्र में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। सफलताएं आंतरिक क्षमताओं का एहसास कराएंगी। संतान संबंधी दायित्वों की पूर्ति होगी। कुंभ :- शासन–सत्ता में व्यस्तता बढ़ेगी। मन आर्थिक सुदृढ़ता हेतु चिंतित होगा। सामाजिक सक्रियता से मान–प्रशिक्षा बढ़ेगी। राजनीति को ग्रहों की अनुकूलता का लाभ मिलेगा। परिजनों के सुख–दुख के प्रति मन चिंतित होगा। मीन :- महत्वाकांक्षी अभिलाषाएं मन में असन्तुष्ट पैदा करेंगी। तामसिक विचारों को मन से दूर ही रखें। विपरीतलिंगी संबंधों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति में व्यय अधिकित है।

सड़कों पर मौत की रफ्तार पर ब्रेक कब लगेगा?



—डॉ प्रियंका सौरभ

भारत की सड़कों पर हर दिन लगभग चार सौ लोग अपनी जान गंवाते हैं। यह आँकड़ा किसी आपदा या महामारी से नहीं, बल्कि हमारी सड़कों पर व्याप्त अव्यवस्था और लापरवाही से जुड़ा है। अनेक योजनाएँ, अभियान और कानून बनने के बावजूद भारत आज भी दुनिया के सबसे अधिक सड़क दुर्घटना मृत्यु दर वाले देशों में गिना जाता है। सवाल यह नहीं कि सरकार ने कुछ किया या नहीं, बल्कि यह है कि हमने सड़क सुरक्षा को कितनी प्राथमिकता दी। यह स्थिति न केवल प्रशासनिक असफलता है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और नागरिक संस्कृति की भी परीक्षा है। भारत में सड़क सुरक्षा पर चर्चा अक्सर किसी बड़ी दुर्घटना या प्रसिद्ध व्यक्ति के हादसे के बाद तेज होती है, लेकिन कुछ दिनों में सब सामान्य हो जाता है। सड़क सुरक्षा को लेकर जो नीतियाँ बनती हैं, वे अधिकतर कागज़ों तक सीमित रह जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत विश्व की कुल सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का लगभग ग्यारह

प्रतिशत अकेले वहन करता है, जबकि हमारे पास विश्व की कुल गाड़ियों का हिस्सा मात्र एक प्रतिशत है। यह असंतुलन किसी भी जिम्मेदार राष्ट्र के लिए चेतावनी है। सड़क दुर्घटनाओं के पीछे कई कारण और परस्पर जुड़े कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण है कृ अवसंरचना की गुणवत्ता और डिजाइन में गंभीर खामियाँ। हमारे अनेक राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर संकेतक, डिवाइडर, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा अवरोधक नहीं हैं। कई बार सड़कों का चौड़ाकरण बिना यातायात प्रवाह के वैज्ञानिक अध्ययन के किया जाता है। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में सड़कें वर्षा में टूट जाती हैं और वर्षों तक बिना मरम्मत के उपयोग में रहती हैं। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और निम्न गुणवत्ता के कारण लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। दूसरा बड़ा कारण है कृ कमजोर प्रवर्तन प्रणाली। भारत में यातायात नियम तो हैं, पर उनके पालन की संस्कृति नहीं है। तेज रफ्तार, गलत दिशा में वाहन चलाना, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के यात्रा करना और नशे की हालत में गाड़ी चलाना आम बात है। पुलिस बलों के पास न तो पर्याप्त संसाधन हैं और न ही तकनीकी प्रशिक्षण कि वे इन नियमों को सख्ती से लागू करा सकें। “ई–चालान” जैसी पहलें केवल बड़े शहरों तक सीमित रह जाती हैं, जबकि ग्रामीण भारत में यातायात नियंत्रण लगभग नाममात्र का है। तीसरा कारण है कृ ड्राइविंग लाइसेंस व्यवस्था की खामियाँ। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना कौशल का नहीं, बल्कि प्रक्रिया की

औपचारिकता का प्रतीक बन गया है। प्रशिक्षण केंद्रों की कमी और भ्रष्टाचार के कारण बिना समुचित परीक्षण के लाइसेंस जारी कर दिए जाते हैं। परिणामस्वरूप असुरक्षित चालक सड़कों पर उतर जाते हैं। कई देशों में वाहन चलाना एक जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता है, जबकि भारत में यह केवल एक अधिकार की तरह देखा जाता है। इसके अतिरिक्त, वाहनों की तकनीकी सुरक्षा प्रणाली का अभाव भी दुर्घटनाओं में मृत्यु का बड़ा कारण है। अधिकांश वाहनों, विशेषकर ट्रक, बस और ऑटो श्रेणी में टक्कर–चेतावनी प्रणाली, एयरबैग, या ऊर्जा–अवशोषक ढाँचा नहीं होता। विकसित देशों में वाहन निर्माण के समय सुरक्षा प्रावधान अनिवार्य हैं, परंतु भारत में ये केवल महंगे मॉडलों तक सीमित रहते हैं। वाहन दुर्घाओं और नियामक संस्थाओं के बीच जवाबदेही का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है। दुर्घटना के बाद की स्थिति और भी भयावह है। ट्रामा केंथर और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था की कमी के कारण घायल व्यक्ति समय पर उपचार नहीं पा पाते। “स्वर्णिम घंटा” यानी दुर्घटना के बाद का पहला घंटा जीवन बचाने के लिए निर्णायक होता है, परंतु हमारे देश में यह घंटा अक्सर सड़कों पर तड़पते हुए बीत जाता है। ग्रामीण इलाकों में एम्बुलेंस सेवाएँ भी सीमित हैं, और जो हैं, वे ईंधन या स्टाफ की कमी से प्रभावित रहती हैं। सड़क दुर्घटनाओं का आर्थिक पक्ष भी गंभीर है। नीति आयोग के अनुसार, भारत हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं के कारण अपनी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग तीन प्रतिशत तक खो

देता है। यानी न केवल लोग मर रहे हैं, बल्कि विकास की रफ्तार भी घट रही है। एक व्यक्ति की मृत्यु परिवार, समाज और अर्थव्यवस्था के लिए स्थायी क्षति है। यह केवल आँकड़ों की बात नहीं, बल्कि मानवीय जीवन के सम्मान का प्रश्न है। अब प्रश्न यह है कि इस स्थिति को बदला कैसे जाए? सबसे पहले तो सड़क सुरक्षा को प्रतिक्रियात्मक नहीं, निवारक नीति के रूप में अपनाना होगा। इसका अर्थ है कि दुर्घटनाओं के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले से ऐसा तंत्र विकसित किया जाए जो दुर्घटनाओं को रोके। इसके लिए सड़क निर्माण, वाहन प्रौद्योगिकी, यातायात प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं से सम्न्वित दृष्टिकोण आवश्यक है। पहला कदम होना चाहिए कृ वैज्ञानिक सड़क डिजाइन और रखरखाव। हर सड़क परियोजना में निर्माण से पहले “सड़क सुरक्षा लेखा–परीक्षण” अनिवार्य किया जाना चाहिए। सड़कें केवल चौड़ी नहीं, बल्कि सुरक्षित और समझदार हों। संकेतक, गति अवरोधक, क्रैश बैरियर और रात्रि प्रकाश जैसे तत्वों को डिजाइन का अभिन्न भाग बनाना होगा। उदाहरण के लिए, चेन्नई और पुणे जैसे शहरों में “शून्य मृत्यु गलियारा” (मतव धंजसपजल ब्यतपक्वत) योजना के तहत मृत्यु दर में पचास प्रतिशत तक कमी आई है। दूसरा कदम, लाइसेंस व्यवस्था में सुधार। पासपोर्ट सेवा केंद्र की तरह “लाइसेंस सेवा केंद्र” बनाकर पारदर्शी, डिजिटल और कौशल आधारित मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रत्येक चालक को सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण से गुजरना अनिवार्य किया जाए। इससे भ्रष्टाचार घटेगा

और योग्य चालक सड़कों पर उतरेंगे। तीसरा कदम, वाहनों में सुरक्षा प्रौद्योगिकी का प्रसार। सरकार को सभी वाहनों में एयरबैग, सेंसर और टक्कर चेतावनी प्रणाली जैसे फीचर अनिवार्य करने चाहिए। “भारत वाहन सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम” (भारत एनसीएपी) सही दिशा में है, परंतु इसे प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। चौथा कदम, पैदल यात्रियों और गैर–मोटर चालित वाहनों के लिए सुरक्षित अवसंरचना का विकास। हमारे शहरों में फुटपाथ अक्सर गायब हैं या दुकानों और पार्किंग में बदल जाते हैं। सुरक्षित जेब्रा क्रॉसिंग, फुटओवर पुल और संकेत व्यवस्था से हजारों जानें बचाई जा सकती हैं। कोपेनहेगन और टोक्यो जैसे शहरों की तरह पैदल और साइकिल यात्रियों के लिए समर्पित मार्ग विकसित करने होंगे। पॉचवॉ कदम, आपातकालीन प्रतिक्रिया नेटवर्क को मजबूत करना। हर पचास किलोमीटर पर ट्रामा केंद्र, चौबीस घंटे एम्बुलेंस सेवा और हेलपलाइन के साथ “राष्ट्रीय दुर्घटना प्रतिक्रिया जाल” तैयार किया जा सकता है। उपग्रह आधारित प्रणाली से एम्बुलेंस को शीघ्रतम मार्ग मिल सकता है। निजी अस्पतालों को दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल प्राथमिक उपचार देने का दायित्व कानूनी रूप से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही, दार में पचास प्रतिशत तक कमी आई है। दूसरा कदम, लाइसेंस व्यवस्था में सुधार। पासपोर्ट सेवा केंद्र की तरह “लाइसेंस सेवा केंद्र” बनाकर पारदर्शी, डिजिटल और कौशल आधारित मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रत्येक चालक को सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण से गुजरना अनिवार्य किया जाए। इससे भ्रष्टाचार घटेगा

है। जब तक नागरिक स्वयं जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक कोई भी नीति स्थायी परिणाम नहीं दे पाएगी। कई देशों में सड़क सुरक्षा को राष्ट्र–निर्माण का अंग माना गया है। स्वीडन की “विजन जीरो” नीति इसका उदाहरण है, जहाँ 1997 से यह लक्ष्य रखा गया कि किसी को भी सड़क पर मरना नहीं चाहिए। इस नीति ने डिजाइन, प्रवर्तन और तकनीक के संयोजन से मृत्यु दर को आधे से अधिक घटा दिया। भारत को भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, जहाँ मानव जीवन की कीमत सर्वोपरि हो। अंततः यह स्वीकार करना होगा कि भारत की सड़क सुरक्षा समस्या केवल अवसंरचना की नहीं, बल्कि मानसिकता की भी है। जब तक लोग स्वयं अनुशासन को अपनाने और दूसरों के जीवन का सम्मान करने नहीं सीखेंगे, तब तक कोई भी कानून कारगर नहीं होगा। सड़क सुरक्षा को राजनीतिक नारे से आगे बढ़ाकर सामाजिक आंदोलन बनाना होगा। भारत आज आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, पर यह विडंबना है कि हर साल लाखों लोग केवल इसलिए मर जाते हैं क्योंकि हमारी सड़कें असुरक्षित हैं। विकास का वास्तविक अर्थ तभी होगा जब सड़कों पर चलने वाला हर व्यक्ति कृ चाहे वह चालक हो, साइकिल सवार या पैदल यात्री कृ स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। समय आ गया है कि सड़क सुरक्षा को “परिवहन मुद्दे” नहीं बल्कि “मानव अधिकार मुद्दे” के रूप में देखा जाए। यह केवल गति की नहीं, बल्कि जीवन की कक्षा का सवाल है। हमें तय करना होगा कि भारत की सड़कों पर रफ्तार जीने का प्रतीक बने या मरने का कारण।

70 साल में भी वेस्ट यूपी नहीं बनी हाईकोर्ट बेंच

—अशोक मधुप

बिना सर्जरी के एक हफ्ते में बवासीर से छुटकारा पाने का असरदार तरीका! यह वीनस नकली दांतों से 300 गुना बेहतर है! और कीमत बहुत सस्ती है टूटे, टेढ़े, ढीले दांत! पश्चिमी उत्तर प्रदेश (वेस्ट यूपी) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापित करने की मांग एक बहुत पुराना और लगातार जारी रहने वाला आंदोलन है। लगभग 70 साल पुरानी यह मांग केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि क्षेत्रीय न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की एक गहरी पुकार है। इस आंदोलन के कामयाब न होने की खास बात यह है कि आंदोलनरत वकील आंदोलन से जनता को नही जोड़ सके। वह यह बताने में और जनता में मन में बैठाने में असफल रहे कि हाईकोर्ट की बेंच पश्चिम उत्तर प्रदेश में बनने से यहां के रहने वालों को क्या लाभ होगा? 1948 में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित की गई थी, लेकिन पश्चिमी यूपी को इससे कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि लखनऊ भी इस क्षेत्र से काफी दूर था। वैसे 1955 की विधि आयोग की सिफारिशों ने इस आंदोलन को एक नई दिशा दी। आयोग ने सिफारिश की थी कि उच्च न्यायालय की बेंच उन क्षेत्रों में स्थापित की जानी चाहिए, जहाँ से दूरी अधिक है। साल 1955 में तत्कालीन मुख्यमंत्री संपूर्णानंद ने

मेरठ में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की सिफारिश की। वर्ष 1976 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने केंद्र को खंडपीठ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव भेजा । जनता पार्टी के शासन में राम नरेश यादव की सरकार ने भी इस मांग पर मुहर लगाई और पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने के प्रस्ताव को कर उसे केंद्र सरकार



को भेजा। बनारसीदास सरकार एवं मथुरा से इलाहाबाद की दूरी 500 से 700 किलोमीटर है। इस लंबी दूरी के कारण मुवकिलों और वकीलों को अत्यधिक समय, धन और ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। गरीबी और वृषसे दत्ते रहते हैं, और ज्ञापन सौंपते हैं। हालाँकि, इस आंदोलन को कई चुनौतियाँ का सामना करना पड़ चुनी है। इस आंदोलन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि किसी भी राजनीतिक दल ने इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से नहीं लिया है। केंद्र और

अजित सिंह जैसे नेताओं ने भी इस मांग को अपना समर्थन दिया। इससे यह मांग राजनीतिक मुद्दा बन जरूर बन गई किंतु नेताओं की इच्छा शक्ति के अभाव में और इलाहाबाद के वकीलों के दबाव में कमी पूरी नहीं हुई। आज भी, पश्चिमी यूपी के कई संगठन और बार एसोसिएशन इस मुद्दे पर नियमित रूप से आंदोलन करते रहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, होती है। यह सब मिलकर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए न्याय को बहुत महंगा बना देता है। एक बात और इलाहाबाद की जगह यदि पश्चिम उत्तर प्रदेश को लखनऊ खंड पीठ से संबद्ध कर दिया जाता, तब भी दूरी दौ सौ किलोमीटर के आसपास कम हो जाती। लखनऊ पश्चिम उत्तर प्रदेश के नजदीक पड़ता है किंतु ऐसा भी नहीं किया गया इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पहले से ही मुकदमों का भारी बोझ है। पश्चिमी यूपी से आने वाले मामलों की बड़ी संख्या के कारण, न्याय में और अधिक देरी होती है। एक बेंच की स्थापना से मामलों का तेजी से निपटारा हो सकेगा, जिससे न्यायपालिका पर दबाव कम होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसे अक्सर पश्चिम का चीनी का कटोरा कहा जाता एक हाईकोर्ट बेंच की स्थापना से इस क्षेत्र की न्यायिक और राजनीतिक पहचान मजबूत होगी, और यह एक आत्मनिर्भर केंद्र बन सकेगा। वर्तमान में भी यह आंदोलन जारी है, हालाँकि इसने कई बार धीमी गति पकड़ी है। 1981 से वकीलों के संगठन नियमित रूप से प्रत्येक शनिवार को हड़ताल करते हैं, वे धरने देते रहते हैं, और ज्ञापन सौंपते हैं। हालाँकि, इस आंदोलन को कई चुनौतियाँ का सामना करना पड़ चुनी है। इस आंदोलन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि किसी भी राजनीतिक दल ने इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से नहीं लिया है। केंद्र और

राज्य सरकारों इस मांग को टालती रही हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकील इस मांग का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बेंच की स्थापना से उनका काम और आय प्रभावित होगी। सरकार का तर्क है कि एक बेंच की स्थापना से प्रशासनिक जटिलताएँ बढ़ेंगी और यह एक आर्थिक बोझ होगा। इसके अलावा, सरकार अक्सर इस मुद्दे को भविष्य के लिए टाल देती है। एक मजबूत और एकीकृत नेतृत्व की कमी ने इस आंदोलन को कमजोर किया है। अलग–अलग कदम अपनै–अपने तरीके से आंदोलन चला रहे हैं, जिससे एकता नहीं बन पाती। हाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच स्थापना के लिए सांसद अरुण गोविल मुखर हो गए हैं। मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने यह मांग उठाने के बाद सांसद अब अधिवक्ताओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कराएंगे। इसके लिए सांसद ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखाकर अधिवक्ताओं के लिए मिलने का समय मांगा है। सांसद ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग छह करोड़ आबादी को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में उच्च न्यायालय की चार बेंच हैं।मध्य प्रदेश में दो बेंच हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़ होने के बाद भी यहां उच्च न्यायालय की एक पीठ है। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए न्याय प्राप्त करना

मुश्किल है। सांसद ने कहा कि यहां बेंच मिलने से कम समय में न्याय मिलेगा और धन की भी बचत होगी।एक हाईकोर्ट बेंच की स्थापना से न केवल पश्चिमी यूपी के लोगों को न्याय तक पहुँचने में आसानी होगी, बल्कि यह पूरे राज्य की न्याय प्रणाली को मजबूत करेगा। यह आवश्यक है कि सरकार, न्यायपालिका और सभी हितधारक मिलकर इस मुद्दे का समाधान निकालें। पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में बॉम्बे हाईकोर्ट की एक नई पीठ और राज्य में चौथी हाईकोर्ट बेंच के गठन की अधिष्ठापना एक अगस्त को जैसे ही जारी हुई यूपी के मेरठ में सरगमियां बढ़ गई। “पश्चिम उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच की स्थापित हो सकती” मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर पश्चिमी यूपी के वकीलों ने चार अगस्त को हड़ताल कर प्रदर्शन किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना का आंदोलन पिछले लगभग 70 साल से जारी है। कब तक जारी रहेगा, यह भी नही कहा जा सकता।इतना जरूर कहा जा सकता है कि लगभग 70 साल चलने वाला यह आंदोलन लंबी अवधि तक चलने वाले आंदोलनों में जरूर दर्ज हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश और आवारा कुत्तों की समस्या!

—विनीत नारायण

भारत में आवारा कुत्तों की समस्या एक जटिल सामाजिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा रही है। बीते शुकवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है जिसमें रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों, स्कूलों सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों को तुरंत हटाने और न सिर्फ नसबंदी और टीकाकरण का निर्देश दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने साफ किया है कि इन कुत्तों को उनकी मूल जगह वापस नहीं छोड़ा जाएगा ताकि इन सार्वजनिक स्थलों से उनकी उपस्थिति खत्म हो सके। यह फैसला भारत में आवारा कुत्तों से जुड़ी बढ़ती समस्या जैसे कि कुत्ते के काटने की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए लिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की बेंच ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय 2 सप्ताह के अंदर सभी सरकारी और निजी स्कूलों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड आदि की पहचान करें जहां आवारा कुत्ते उपस्थित हैं। इसके बाद स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी होगी कि वे इन कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित आश्रमों में स्थानांतरित करें,जहां उन्हें न सिर्फ नसबंदी और टीकाकरण दिया जाएगा बल्कि उनकी देखभाल भी सुनिश्चित की जाएगी। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस कार्रवाई में बाध ा डालता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 13 जनवरी 2026 को समीक्षा के लिए पुनरु लाया जाएगा। जानवर प्रेमियों और पशु अधिकार संगठनों ने इस

आदेश पर व्यापक असंतोष जताया है। उनका कहना है कि इस तरह के आदेश से कुत्तों के प्रति चिंता और संरक्षण कम हो सकता है। कई संगठन इस बात पर जोर देते हैं कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उनके मूल क्षेत्र में ही जारी रखना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से इलाके में कुत्तों की आबादी नियंत्रित रहती है और कुत्तों के व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे पशु कल्याण बोर्ड के पुराने सुझावों का हवाला देते हैं, जिनमें कहा गया है कि आवारा कुत्तों का पुनरु उनके क्षेत्र में छोड़ना बेहतर तरीका है न कि उन्हें जोर जबरदस्ती के द्वारा नष्ट करना। कई जानवर प्रेमी और समाजसेवी समूह आशंकित हैं कि इस कदम से आवारा कुत्तों की संख्या और व्यवहार संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। पशु प्रेमी जो जानवरों

के कल्याण के प्रति संवेदनशील होते हैं, उन्हें इस निर्णय को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखना चाहिए। यह आदेश केवल कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों से हटाने की बात नहीं करता बल्कि उनके लिए एक सुरक्षित और मानवीय वातावरण प्रदान करने पर भी जोर देता है। नसबंदी और टीकाकरण जैसे कदम न केवल कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करेंगे बल्कि उनके स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएंगे। सड़कों पर रहने वाले कुत्तों के पुराने सुझावों का हवाला देते हैं, जिनमें कहा गया है कि आवारा कुत्तों का पुनरु उनके क्षेत्र में छोड़ना बेहतर तरीका है न कि उन्हें जोर जबरदस्ती के द्वारा नष्ट करना। कई जानवर प्रेमी और समाजसेवी समूह आशंकित हैं कि इस कदम से आवारा कुत्तों की संख्या और व्यवहार संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। पशु प्रेमी जो जानवरों

के लिए सरकार को कई महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। यदि इसे सही ढंग से अमल में लाया जाए तो यह पूरे देश के लिए एक मॉडल बन सकता है। केवल दिल्ली में अनुमानित 10 लाख आवारा कुत्तों को देखते हुए, इसे अमल में लाना एक चुनौती हो सकती है। सरकार को बड़े पैमाने पर आधुनिक आश्रय स्थल बनाने होंगे जो स्वच्छता, भोजन और चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित हों। इन आश्रय स्थलों में पशु चिकित्सा और प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति आवश्यक है। पशु प्रेमियों की मानें तो इस आदेश को जारी करते समय कुछ सावधानियां और वैकल्पिक उपायों पर विचार किया जाना आवश्यक था जैसे, स्थानीय आश्रमों की संख्या, संसाधन और देखभाल का आकलन, कुत्तों की संख्या

नियंत्रित करने के लिए आम लोगों में जागरूकता और सामाजिक समन्वय, नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही कुत्तों को उनके इलाके में छोड़ने की नीति, कुत्तों के प्रति मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक शिक्षा, पशु अधिकार समूहों, नगर निगम और प्रशासन के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा। भारत में आवारा कुत्तों की संख्या बहुत अधिक है और प्रबंधन के लिए अलग–अलग राज्यों में नियम चलाए जाते हैं, जिसमें नसबंदी, टीकाकरण और पुनरु छोड़ना शामिल है। उदाहरण स्वरूप, जयपुर और गोवा जैसे शहरों ने इस विधि से कुत्तों से होने वाली बीमारियों को काफी हद तक नियंत्रण में रखा है। दूसरी ओर, विश्व के कई देशों ने भी अपनी–अपनी रणनीतियां अपनाई हैं।



उत्तराखंड में बढ़ा चिकित्सा शिक्षा का दायरा

मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों में दूर हुई फैकल्टी की कमी, मेडिकल कॉलेज श्रीनगर व देहरादून को मिली कैथ लैब

बीएनई

देहरादून। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के साथ-साथ मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। साथ ही नये मेडिकल व नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के साथ ही एमबीबीएस व पीजी की सीटों में वृद्धि कर छात्र-छात्राओं को मेडिकल की पढ़ाई के अवसर प्रदान किये। इन संस्थानों में शिक्षण व प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने के लिये समय-समय पर योग्य और अनुभवी संकाय सदस्यों की नियुक्ति कर फैकल्टी की कमी को दूर करने का प्रयास किया, साथ ही मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सकीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गईं, जिससे मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। दूर हुई फैकल्टी की कमी राज्य सरकार

ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त करने के बड़े स्तर पर संकाय सदस्यों की नियुक्ति है। वर्ष 2025 में संकाय सदस्यों की कमी को पूर्ण करने के लिये 439 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान हैं। इसके साथ ही विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में संविदा के आधार पर संकाय सदस्यों की भी नियुक्ति की जा रही है। इसके अलावा राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में 26 नर्सिंग टयूटर्स की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा एक प्रोफेसर व 6 एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति भी कर दी गई है। जबकि राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 1248 नर्सिंग अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। जिससे सम्बद्ध अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित हुई हैं। हरिद्वार में शुरू हुआ मेडिकल कॉलेज चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत हरिद्वार में स्थापित मेडिकल कॉलेज का संचालन शुरू कर दिया गया है। जो कि राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि है। इस



रही है। भौतिक संसाधनों में वृद्धि राज्य सरकार द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेजों को साधन सम्पन्न बनाया जा रहा है। दून चिकित्सालय में 500 बेड का अस्पताल व राजकीय दून मेडिकल कॉलेज परिसर में 320 बेडेंड यूजी हॉस्टल, 20 बेडेंड इंर्न मेडिकल कॉलेज में भी शुरू कर दी जायेगी। आई बैंक की स्थापना राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी और श्रीनगर में नेत्र रोग विभाग के अंतर्गत 'आई बैंक' एवं कॉर्निया प्रत्यारोपण केन्द्र' की स्थापना कर दी गई है। जहां पर आम लोगों को नेत्र प्रत्यारोपण की सुविधाएं दी जा

खेल मंत्रालय ने 25 खेलों में 320 सहायक कोच की नियुक्ति को दी मंजूरी

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। खेल मंत्रालय ने ओलंपिक और एशियाई खेलों के लिए अपनी पदक रणनीति के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) केंद्रों में 25 खेलों के लिए 320 सहायक कोचों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को कहा कि जल क्रीड़ा, साइकिलिंग और टेनिस जैसे खेल सहित उन खेलों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं लेकिन उनमें पदक जीतने की अपार

संभावनाएं हैं। मांडविया ने कहा, "इसमें साई केंद्रों के प्रमुख खेलों को शामिल किया जाएगा। चयन प्रक्रिया योग्यता आधारित और पारदर्शी होगी और इसमें केवल वे ही शामिल होंगे जो अपने-अपने क्षेत्र में अव्यय या लाइसेंस धारक हैं।" उन्होंने कहा, "हम खेलों को महत्व देने का प्रयास कर रहे हैं जिससे देश में समग्र खेल संस्कृति में सुधार होगा। टेनिस, क्वाकिंग और कैनोइंग जैसे खेल कमी-कमी उठना ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनमें अपार संभावनाएं हैं।" मांडविया ने कहा

मलिंगा-बोल्ट या राशिद नहीं, हाशिम अमला ने इस भारतीय को बताया IPL का सबसे मुश्किल गेंदबाज



एजेंसी

जोहानिसबर्ग। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज हाशिम अमला ने अंतरराष्ट्रीय करियर में कई रिकॉर्ड तोड़े और बनाए। उनकी क्लासिक बैटिंग स्टाइल हर किसी का मन मोह लेती थी। हालांकि,

सामना करना सबसे मुश्किल लगा। हाल ही में एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान अमला ने बुमराह की जमकर तारीफ की और उन्हें दुनिया के सबसे रिकलकुल ऑल-रॉण्डर के गेंदबाज बताया। बुमराह को गेंदबाजी करते देखना ही सुंदर अनुभव है अमला ने कहा, शबिलकुल बुमराह। वह शानदार गेंदबाज हैं और आप देख सकते हैं कि भारत के लिए उन्होंने कितनी शानदार गेंदबाजी की है। मेरे लिए वह सबसे मुश्किल प्रतिद्वंद्वी थे। बुमराह न सिर्फ तेज गेंदबाजी करते हैं बल्कि उनकी विविधता और नियंत्रण अद्भुत है। उन्हें गेंदबाजी करते हुए देखना अपने आप में एक खूबसूरत एहसास है। बुमराह को अमला ने तकनीकी दृष्टि से सबसे कठिन गेंदबाज बताया, जो किसी

भी बल्लेबाज को असमंजस में डाल सकते हैं। शब्द में अमला का शानदार रिकॉर्ड हाशिम अमला ने आईपीएल में किस इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के लिए 2016 और 2017 सीजन खेले। उन्होंने कुल 16 पारियों में 577 रन बनाए और उनका औसत 44.28 का रहा। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 141.76 का रहा। अमला ने आईपीएल में दो शतक भी लगाए थे और अपनी क्लासिक बल्लेबाजी से भारतीय दर्शकों का दिल जीता था। अगर दोबारा मौका मिले, तो किस टीम के लिए खेलेंगे? पॉडकास्ट के दौरान जब अमला से पूछा गया कि अगर उन्हें दोबारा आईपीएल खेलने का मौका मिले तो किस टीम के लिए खेलना चाहेंगे?



दिलजीत दोसांझ को फिर मिली धमकी, अभिताभ के पैर छूने से हैं नाराज; खालिस्तानी समर्थक ऑकलैंड में करेंगे ये काम

एजेंसी

पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने 9औराष्ट्र दूर पर हैं। उन्हें अमेरिकी खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नी की तरफ से दी गई चेतावनी के बाद नई धमकियां मिली हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक पर्थ में गायक के कॉन्सर्ट में कथित तौर पर खालिस्तान समर्थक नारे लगाए गए थे। अब न्यूजीलैंड में उनके अपकमिंग शो को खालिस्तानी समर्थकों द्वारा बाधित करने की धमकी दी गई है। शांत हैं गायक अभिताभ बच्चन के पैर छूने के उनके कदम से उठे विवाद के बाद दोसांझ को प्रतिबंधित खालिस्तानी समूह एसएफजे से धमकियां मिल रही हैं। गायक ने इन धमकियों के बावजूद शांत बने रहने का फैसला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने संगीत कार्यक्रम की झलकियां साझा की हैं। अभिताभ के पैर छूने से शुरू हुआ विवाद विवाद तब शुरू हुआ जब कौन बनेगा करोड़पति 17 के एक प्रोमो में दिलजीत दोसांझ, अभिताभ बच्चन के पैर छूते हुए दिखाई दिए। इसके बाद, खालिस्तानी आतंकवादी घोषित किए गए एक समूह, सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) ने 29 अक्टूबर को गायक के खिलाफ धमकी जारी की। एसएफजे प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नी ने 1 नवंबर को उनके वाले दोसांझ के ऑस्ट्रेलिया कॉन्सर्ट को बंद कराने की भी चेतावनी दी थी। दिलजीत ने दी थी सफाई धमकियों के बाद दिलजीत ने स्पष्ट किया कि वह किसी फिल्म या गीत का प्रचार करने के लिए शो में नहीं आए थे, बल्कि पंजाब बाढ़ राहत प्रयासों के लिए जागरूकता बढ़ाने और समर्थन के लिए आए थे। धमकियों के बावजूद जारी है दौरा दिलजीत दोसांझ ने धमकियों के बावजूद अपना अंतरराष्ट्रीय दौरा जारी रखा है और सीधे तौर पर उनसे बात करने से परहेज किया है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक धर्मेन्द्र सिंह द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743

एनसीएल में 16वीं अंतर-क्षेत्रीय प्राथमिक उपचार प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ

बीएनई

सिंगरौली। एनसीएल के ककरी क्षेत्र के एकलव्य मैदान में आज जोश और उत्साह से लबरेज माहौल को 16वीं अंतर-क्षेत्रीय प्राथमिक उपचार प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। एनसीएल के सभी क्षेत्रों और इकाइयों से टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में 370 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनमें से 130 महिला प्रतिभागी हैं। कार्यक्रम की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि निदेशक (तकनीकी/संचालन), एनसीएल सुनील प्रसाद सिंह ने सुरक्षा ध्वज फहराकर की। तत्पश्चात उन्होंने परेड की सलामी ली और सभी प्रतिभागी टीमों से परिचय प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में महिला

कर्मियों के साथ-साथ एनसीएल परिवार की होम मेकर्स (गृहणियों) की भागीदारी, घर से लेकर कार्यस्थल तक प्राथमिक उपचार और सुरक्षा की संस्कृति में नारी शक्ति की सशक्त भूमिका को रेखांकित कर रही है। इस अवसर पर निदेशक (तकनीकी/संचालन) सुनील प्रसाद सिंह ने अपने संबोधन में जोश और उत्साह के साथ प्राथमिक उपचार प्रतियोगिता को सफल बनाने का आह्वान किया। चिकित्सा सेवा में फस्ट एडर की महत्ता बताते हुए उन्होंने कहा कि प्राथमिक उपचार की जानकारी और सजगता, सुरक्षित कार्यस्थल की अनिवार्य शर्त है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल अच्छे प्राथमिक उपचारकर्ता तैयार करते हैं बल्कि ज्ञान और अनुभव भी बढ़ाते हैं। उन्होंने एनसीएल के चिकित्सा एवं सुरक्षा से

जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मियों और सविदा कर्मियों को इस आयोजन में योगदान हेतु सराहा। एनसीएल की लगभग 6000 घरेलू गृहणियों को प्राथमिक उपचारकर्ता बनने हेतु दिए गए प्रशिक्षण को नवाचारी पहल बताते हुए उन्होंने इसे एनसीएल की सामाजिक जिम्मेदारी और सशक्त नारी शक्ति के प्रति प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र में महाप्रबंधक (सुरक्षा एवं बचाव) पी. डी. राठी, सीएमएस (एनसीएल) विवेक खरे, सीएमएस (एनएससी) पंकज कुमार, महाप्रबंधक ककरी क्षेत्र प्रदीप कुमार जाना तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विभिन्न परियोजनाओं ने प्रदर्शनियां भी लगाई हैं।

11 नवंबर को अहमदाबाद में होगा 'इन्वेस्टर कनेक्ट' कार्यक्रम टेक्सटाइल, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में निवेश के अवसरों की होगी प्रस्तुति

बीएनई

रायपुर। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा 11 नवंबर को अहमदाबाद में "इन्वेस्टर कनेक्ट" कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य गुजरात के उद्योग जगत के साथ औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करना और दोनों राज्यों के बीच निवेश व व्यापारिक अवसरों का विस्तार करना है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ के बढ़ते औद्योगिक इकोसिस्टम, प्रगतिशील औद्योगिक नीतियों और निवेश-अनुकूल प्रशासनिक ढांचे को प्रदर्शित करेगा। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस मौके पर विभिन्न सेक्टरों में निवेश की संभावनाओं, निवेशकों के लिए प्रोत्साहन योजनाओं, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की विशेषताओं पर प्रस्तुति देंगे। इस

पहले के जरिए उद्योग स्थापित करना और संचालित करना पहले से अधिक सरल, तेज और लाभदायक बनाया जा रहा है। कार्यक्रम की मुख्य विशेषता निवेशकों और राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के बीच वन-ऑन-वन बिजनेस मीटिंग्स रहेगी। इन चर्चाओं का फोकस टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर रहेगा - जहाँ छत्तीसगढ़ ने नवाचार और प्रोत्साहन से प्रतिस्पर्धामक बढ़त हासिल की है। राज्य सरकार इस अवसर पर प्रमुख निवेशकों को "इनविटेड टू इन्वेस्ट लेटर" भी प्रदान करेगी, जिससे परियोजना स्वीकृति और औद्योगिक सहयोग की प्रक्रियाओं को त्वरित और सुगम बनाया जा सके। उल्लेखनीय है कि इससे पहले छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट

के सफल आयोजन दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, बस्तर और रायपुर में हो चुके हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से सिर्फ दस महीनों में 7.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो राज्य की तेज, स्थिर और निवेशक-केंद्रित शासन प्रणाली पर बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। नवाचार, स्वायत्त और इज ऑफ इंड्रिंग बिजनेस पर फोकस के साथ छत्तीसगढ़ आज भारत के हृदयस्थल में एक उभरता हुआ औद्योगिक केंद्र बन गया है। राज्य में मैन्युफैक्चरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, फूड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा जैसे क्षेत्रों में निवेश की असीम संभावनाएँ हैं। पारदर्शी प्रणालियाँ, तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेशकों के लिए सहयोगी माहौल छत्तीसगढ़ को लंबे समय के लिए एक विश्वसनीय और आकर्षक निवेश गंतव्य बनाते हैं।

अमेरिका को गैलियम-जर्मेनियम जैसे अहम तत्वों पर मिली राहत, चीन ने हटाए निर्यात प्रतिबंध

एजेंसी

बीजिंग। चीन ने गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी जैसे तत्वों पर अमेरिका के लिए लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने रविवार को इसकी घोषणा की। मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि यह फैसला कुछ दोहरे इस्तेमाल वाली वस्तुओं पर लागू नियंत्रण उपायों के आंशिक निलंबन से जुड़ा है। इसमें गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी जैसे औद्योगिक पदार्थ शामिल हैं। मंत्रालय के मुताबिक, यह निलंबन श्रेणीकरण संख्या- 46 (2024) की दूसरी धारा पर लागू होगा और यह नौ नवंबर 2025 से 27 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। पहले इस धारा के तहत अमेरिका को

इन औद्योगिकी पदार्थों के निर्यात पर रोक थी और ग्रेफाइट के निर्यात पर सख्त जांच की शर्तें थीं। वहीं, पहली धारा पहले की तरह लागू रहेगी, जिसमें अमेरिकी सेना या



सैन्य उपयोग के लिए दोहर उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर रोक है। वाणिज्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह अस्थायी निलंबन केवल दूसरी धारा के लाइसेंस और समीक्षा से जुड़ी पाबंदियों पर लागू होगा। पिछले

साल दिसंबर में चीन ने चेतावनी दी थी कि अगर कोई भी संगठन या व्यक्ति चीन में बने दोहरे उपयोग वाले सामानों को अमेरिकी संस्थाओं को अवैध रूप से भेजेगा, तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका और चीन के बीच एक अहम व्यापार और आर्थिक समझौता हुआ। यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी समकक्ष शी जिनिपिंग के बीच दक्षिण कोरिया के बुसान में मुलाकात के बाद हुआ। इस समझौते में चीन ने दुर्लभ खनिजों और अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों के

निर्यात पर लगे निर्यात प्रतिबंधों को निलंबित करने, अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए जवाबी टैरिफ हटाने और अमेरिकी सोयाबीन, ज्वार और लकड़ी की बड़ी मात्रा में खरीद फिर से शुरू करने पर सहमति दी है। इसके अलावा, चीन अब नेक्सपेरिया की अपने देश में स्थित इकाइयों से व्यापार दोबारा शुरू करने की अनुमति देगा और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी अमेरिकी कंपनियों की जांच खत्म करेगा। इसके बदले में अमेरिका ने भी कुछ कदम उठाने पर सहमति जताई है। वह फैंटानिल नियंत्रण से जुड़े चीनी आयातों पर लगने वाले कुछ टैरिफ को 10 फीसदी तक घाटे होगा। साथ ही, धारा 301 के तहत दी गई टैरिफ छूटों को अगले साल 10 नवंबर तक बढ़ाएगा।

त्योहारी मांग और जीएसटी सुधारों से बढ़ी कर्ज की रफ्तार, बैंकों की कमाई में तेजी के आसार

एजेंसी

नई दिल्ली। आने वाले महीनों में बैंकों की कमाई बढ़ने की उम्मीद है। सिस्टमेटिक्स रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, बैंकों की मुनाफे में बढ़त चार वजहों से हो सकती है, ज्यादा कर्ज देने की रफ्तार, जमा पर घटती ब्याज दरें, नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में कमी और असुरक्षित लोन (जैसे पर्सनल लोन) में फिसलन कम होना। माइक्रोफाइनेंस संस्थानों में लोन न चुकाने के मामलों में आई कमी रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंक इस समय जमा पर दी जाने वाली ब्याज दरों को दोबारा तय कर रहे हैं, जिससे उनके खर्च कम होंगे और मुनाफा बढ़ेगा। साथ ही, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) में लोन न चुकाने के मामलों में कमी आई है, जिससे बैंकों की हालत और बेहतर होगी। बैंकों के नेट इंटरैस्ट मार्जिन में आ सकती है गिरावट रिपोर्ट के मुताबिक,

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बैंकों का नेट इंटरैस्ट मार्जिन (एनआईएम) यानी ब्याज से होने वाली कमाई थोड़ा कम रह सकती है, लेकिन आगे जाकर ये स्थिर होने की उम्मीद है। कुछ बैंकों ने तो उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन भी किया

है। फिक्स डिपॉजिट में किए गए बदलावों का फायदा रिपोर्ट में कहा गया है कि फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों में किए गए बदलाव का पूरा फायदा बैंकों को वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में दिखेगा। साथ ही, नकद आरक्षित अनुपात में कटौती

में आगे कोई कटौती न हो। जीएसटी सुधारों और त्योहारी सीजन ने बढ़ाई कर्ज की मांग पहली तिमाही में जहां कर्ज की रफ्तार धीमी थी, वहीं दूसरी तिमाही में इसमें तेजी आई। इसका कारण है जीएसटी दरों में कमी और त्योहारी सीजन की बढ़ती मांग। इसी वजह से सालाना आधार पर क्रेडिट ग्रोथ बढ़कर 11.4 फीसदी तक पहुंच गई। क्या कहते हैं आकड़े? हालांकि दूसरी तिमाही में बैंकों के मुनाफे के कमजोर रहने की उम्मीद थी, लेकिन नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 3 अक्टूबर 2025 तक बैंकिंग सिस्टम के कुल कर्ज में तिमाही आधार पर 4.2% और सालाना आधार पर 11.4% की बढ़ोतरी हुई। वहीं जमा में तिमाही आधार पर 2.9% और सालाना आधार पर 9.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सार्वजनिक बैंकों में जमा की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी रही, लेकिन कुल मिलाकर जमा की रफ्तार अब भी कर्ज की तुलना में धीमी है।



है। ज्यादातर बैंकों के लिए लोन पर मिलने वाला ब्याज (यील्ड) थोड़ा घटा है, लेकिन इसका असर कम रहा क्योंकि बैंकों के लिए जमा और उधार पर ब्याज का खर्च भी घटा